

## परिपत्र

प्रति,

सभी बीमाकर्ता (ईसीजीसी, एआईसी को छोड़कर)

महोदय / महोदया,

### **विषय: स्वास्थ्य बीमा विनियामक विवरणियों का संशोधन**

1. यह स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मानकीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र के संदर्भ में है जो संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/193/07/2020 दिनांक 22.07. 2020 के द्वारा जारी किया गया। ऊपर संदर्भित परिपत्र के अनुसार बीमाकर्ताओं द्वारा आवधिक तौर पर प्रस्तुत की जानेवाली विभिन्न स्वास्थ्य बीमा विनियामक विवरणियाँ उक्त मास्टर परिपत्र के खंड 1: स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश के अंतर्गत अध्याय V के अनुबंध-II के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं। प्रस्तुत की जा रही वर्तमान विवरणियों की विस्तृत रूप से जाँच करने के बाद ऊपर संदर्भित मास्टर परिपत्र दिनांक 22.7.2020 का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए कुछ विवरणियों के संबंध में आवधिकता के संबंध में निम्नलिखित आशोधन किये गये हैं तथा कुछ विवरणियाँ समाप्त की गई हैं।

**क.** निम्नलिखित विवरणी के संबंध में, 'अवधि के लिए' विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए, समाप्त की गई है। तथापि, बीमाकर्ता ऊपर संदर्भित दिशानिर्देशों के द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में 'अवधि तक' विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखेंगे।

i. तिमाही विवरणियाँ – (एचआईआर – 18)

**ख.** निम्नलिखित विवरणियों की आवृत्ति निम्नानुसार आशोधित की गई है:

i. एचआईआर-19 विवरणी तिमाही के बदले वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जाएगी।

ii. एचआईआर-14 से एचआईआर-17 तक की विवरणियाँ छमाही के बदले वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जाएँगी।

**ग.** सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं संबंधी सूचना पर जीएचआईएस विवरणी (एचआईआर-20) तथा जीएचआईएसएआर विवरणी (एचआईआर-21) समाप्त की गई हैं।

2. ये मानदंड तत्काल प्रभाव से लागू हैं तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए और उससे आगे फाइल की जानेवाली सभी विवरणियों पर लागू हैं।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

भवदीय,

डी.वी.एस. रमेश

मुख्य महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)

**Circular**

To  
All Insurers (except ECGC, AIC)

Sir/Madam,

**Re: Revision of Health Insurance Regulatory Returns - reg.**

1. This has reference to the master circular on standardization of health insurance products issued vide ref no. IRDAI/HLT/REG/CIR/193/07/2020 dated 22.07.2020. Vide the within referred circular various health insurance regulatory returns to be periodically submitted by the insurers are prescribed under Annexure – II of Chapter V under section 1: Guidelines on standardization in health insurance of the master circular. On comprehensively examining the extant returns being submitted, in partial modification of the within referred Master Circular dated 22.7.2020 the following modifications made in respect of the periodicity in respect of some returns and some returns are dispensed with
  - a. In respect of the following return, 'For the period' return to be submitted is dispensed with. However, insurers shall continue to submit 'up to the period' return as specified by the above referred guidelines.
    - i. Quarterly Returns – (HIR-18)
  - b. The frequency of the following returns is modified as under:
    - i. HIR-19 return to be submitted annually instead of quarterly
    - ii. HIR-14 to HIR - 17 returns to be submitted annually instead of Half-yearly
  - c. GHIS return (HIR-20) on Information on Government Sponsored Health Insurance Schemes and GHISAR Return (HIR-21) stands dispensed with.
2. These norms are applicable with immediate effect and are applicable to all returns to be filed for FY 2021-22 onwards.
3. This has the approval of the competent Authority.